नम्बर व तारीख अह
जो इस हुक्म की
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

अपील सं. 43/2018

अनंवानः–

रामप्रताप पुत्र मुखराम जाति जाट सा. नाईवाला तह0 टिब्बी।

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.9.18 बअदालत तहसीलदार टिब्बी।

उपस्थितः– 1 श्री अनिल शर्मा अभिभाषक अपीलांटस।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः –21.01..2019

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवार मण्डल नाईवाला द्वारा दिनांक 6.8.18 की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया कि चक 9 सीडीआर प0नं0 225/255 कि0नं0 15/.038,16/0.038 है0 ,25/0.038 है0 भूमि गै.मु. रास्ता पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर रखा है जिस कम में अपीलांट ने क0नं0 16/0:002 ट्यूवबैल, कि0नं0 16/0.036 है0 चावल,कि0नं0 25/0.038 है0 चावल व कि0नं0 15/0.038 खाली है लेकिन मौका पर कब्जा कर रखा है। इस पर अन्र्तगत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर तलब किया गया । दिनांक 6.9.18 को अपीलांट ने उपस्थित आकर मय प्रा0पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण को दस्तावेजी साक्ष्य एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी को अवसर प्रदान किया जावे। अवसर प्रदान नहीं करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी माना व उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये व तावान कायम किया गया व आरा मशीन को कुर्क करने के आदेश फरमाये गये। प्रश्नगत रकबा में अपीलांट अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलांट का कब्जा अरसादराज से चला आ रहा है। अपीलांट अतिकमी नहीं है जबकि प्रश्नगत रकबा को बिना पैमाईश के अतिक्रमी माना जाकर विधि विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। प्रश्नगत रास्ता पर कभी भी रास्ता की भूमि नहीं रही है ना ही मौका पर उक्त भूमि में रास्ता चालू रहा है उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 आबादी दर्ज है जो कि वर्तमान में प्रश्नगत रकबा में चक 9 सीडीआर में आबादी क्षेत्र में है किन्तु अपीलांट ने अपनी सीमा में चावल की फसल काश्त कर खी है व टयूवबैल लगा रखा है जिसका उपयोग उपभोग अपीलांट द्वारा किया जा रहा है किन्तु इन तथ्यों की अनदेखी कर रेस्पो0 ने अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है। प्रश्नगत रकबा के कि0नं0 16 में टयूवबैल लगा रखा है। अपीलांट एक लघु किसान है व आजीविका का साधन केवल कृषि भूमि है। जिसकी सिंचाई टयूवबैल द्वारा की जाती है। इसके अलावा अपीलांट के पास सिंचाई का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इन तथ्यों की अनदेखी कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत रकबा की बिना पैमाईश व वस्तुस्थिति की अनदेखी कर पारित किया है जबकि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया जाकर सलंग्न पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रकबा आबादी क्षेत्र है या नहीं के बाबत बिना पैमाईश किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है। इसलिए प्रकरण में पैमाईश करवाकर आगामी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे। बहस के समय ग्राम पंचायत सूरेवाला द्वारा ओमप्रकाश, रामप्रताप व लक्ष्मण राम के नाम जारी आवासीय पटटा की फोटो प्रतियां पेश की गयी और तर्क किया कि प्रश्नगत भूमिआबादी क्षेत्र की है न कि गै0मु0 रास्ता की भूमि है इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत रकबा राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है। जो राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है। गै.मु. रास्ता की भूमि पर अपीलांट द्वारा नाजायज कब्जा कर चावल काश्त की है व टयूवबैल लगाना विधि विरूद्ध है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपील पत्रावली के सलंग्न पत्रादि का अध्ययन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 6.8.18 के अनुसार चक 9 सीडीआर में गै0मु0 रास्ता की भूमि प0नं0 225/255 कि0नं.0 15/0.038 है0 ,16/0.038 है0 6 क 0.038 है0,25/0.038 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। जिस पर अतिक्रमी रामप्रताप ने अतिक्रमण कर रास्ता बन्द कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट ने दिनांक 6.9.18 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर परिस्थिति जन्य साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया जाकर पत्रावली में तारीख पेशी 10.9.18 नियत की गयी। नियत दिनांक 10.9.18 को अपीलांट अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। आबादी भूमि से संबंधित पटटा के संबंध में अपीलांट ने कोई आबादी भूमि का नक्शा पेश नहीं किया जिससे स्पष्ट हो सके कि प्रश्नगत भूमि आबादी क्षेत्र की है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया व ना ही नियत दिनांक को वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा राजकीय गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी का निर्णय दिनांक 10.9.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(प्रभाती लाल जाट)
आर ए एस
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़